न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/45/2021

महेशचन्द प्लॉट न0 899, गांधीनगर जैन मंदिर के पास सेवर रोड भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार, भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 02.06.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि महेशचन्द प्लॉट न0 899, गांधीनगर जैन मंदिर के पास सेवर भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2021 तहसीलदार, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/367 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा तहसीलदार, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार, भरतपुर से उनके पत्र कमांक/2967 दिनांक 28.05.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार, भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 2967 दिनांक 28.05.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। तहसीलदार, भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 2965 दिनांक 28.05.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार, भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर